प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 124 / 2023 (अपील सूचना का अधिकार)

मोतीलाल पुत्र पन्नालाल तेली पताः गांव व पोस्ट कल्याणपुर, तहसील–ऋषभदेव, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अधीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 30/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 11.08.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 124 / 23 / 1329–30 दिनांक 04.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सूचना का अधिकार / 2023 / 2006 दिनांक 27.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो सूचना चाही गई है, वह प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांकः रीडर / सू.आ अधि / 2023 / 1851 दिनांक 23.08.2023 जरिये पत्र के उपलब्ध करवाई गई, जिसमें राजस्व ग्राम कल्याणपुर तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर मे कृषि व अन्य प्रयोजनार्थ 1 अप्रेल 1978 से 15 अगस्त 2020 के बीच किये गये भूमि आवंटन की सूचना चाही गई थी। कृषि भूमि आवंटन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा किये जाते है। जिसकी सूचना कार्यालय हाजा से दिया जाना संभव नहीं है। उक्त सूचना इस कार्यालय से दिया जाना संभव नहीं है का पत्र दिनांक 23.08.2023 को जरिये डाक भिजवाया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर पत्र की प्रति भी प्राप्त की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 27.10.2023 अनुसार कृषि भूमि आवंटन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से किये जाने से होना बताया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड कार्यालय से संबंधित है ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना से अपीलार्थी को भी जरिये पत्रांक

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

1851 दिनांक 23.08.2023 से अवगत करवा दिया गया एवं अपीलार्थी द्वारा स्वयं भी उक्त पत्र तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं होने से अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार ऋषभदेव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर